सं0 1593 / IV(2)श0वि0–10–80(सा0) / 10

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून, उत्तरांचल।

शहरी विकास अनुभाग–2: देहरादून, दिनांक–27 अक्टूबर, 2010

विषय : स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के विपरीत राज्यॉश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, सूडा के पत्र संख्या 170 / सूडा / 2010–11 दिनांक 9–9–2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र सं0– जी–24011 / 3 / 2010–यूपीए, दिनांक 11–8–2010 के द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत ₹ 273.17 लाख की धनराशि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हुई है। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की नवीनतम गाईड लाईन के अनुसार स्वीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष देय 10 प्रतिशत राज्यॉश **₹ 30.35 लाख (₹ तीस लाख पैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी जो कि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार तथा शासन द्वारा निहित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय करेगें।

2– उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या–13 सामान्य बजट, अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट से स्वीकृत की जा रही है।

3– उक्त अनुदान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्रॉश तथा उस पर अनुमन्य अनुपातिक राज्यॉश की सीमा तक ही किया जायेगा।

5– व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा इसके क्रय में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश मितव्ययिता के विषय में शासन के आदेश एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

6– प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (उत्तराखण्ड) को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य भेज दी जाय।

7– इस धनराशि का उपयोग दिनांक 31–3–2011 तक अवश्य कर लिया जाय। उसके प्रथम त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार व शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिये जाय। एक वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगिता/दुरूपयोगिता धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को समर्पित करनी होगी। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

8– योजनान्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व निकायों से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जायेगा ताकि एक कार्य हेतु दो निधि से धनराशि अवमुक्त न हो।

9– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड आहरण की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कर लेगें।

10– अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक प्रगति रिपोर्ट, भौतिक प्रगति सहित समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ तथा शहरी विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा, जो कि अनुदान संख्या–13 की प्रगति आख्या के अतिरिक्त होगा।

(2) उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2010–11 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना–01–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे **₹ 23.98 लाख** की धनराशि, **अनुदान सं0–30**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना–01–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार

योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे **₹ 5.46 लाख** तथा **अनुदान सं0–31,** लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना–01–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे **₹ 0.91 लाख** की धनराशि डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–525/XXVII(2)/2010 दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

सं0 1593 **(1)/IV(2)-श0वि0–10,तद्दिनांक।**

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, ई0एम0पी0ए0, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4– निदेशक, स्थानीय निधि, कोषागार, डालनवाला, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून/समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।